<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 60/2021 दायर दिनांकः 12/11/2021

उनवान

1. खेमचन्द आयु 75 वर्ष पुत्र मथूरालाल जाति धाकड़ निवासी खानपुरिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थित :—

वादी :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर।

आदेश

दिनाकः 11/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 60 की ख0नं0 738 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 754 रकबा 0.29 है0 किता 2 रकबा 2.43 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खाते में दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का नाम खेमराज पुत्र मथूरालाल दर्ज है। जो गलत नाम है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वाके ग्राम एवं माल खानपुरिया तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 10 की ख0नं0 79 रकबा 1.04 है0, ख0नं0 80 रकबा 2.93 है0 किता 2 रकबा 3.97 है0 आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खाते दर्ज चली आ रही है। जिसमें प्रार्थी का सही नाम खेमचन्द पुत्र मथूरालाल दर्ज है। नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम खेमचन्द पुत्र मथूरालाल दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का गलत नाम खेमराज पुत्र मथूरालाल दर्ज होने की वजह से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पडता है तथा सरकार की योजना के लाभ से वंचित होना पड रहा है। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र

की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में खेमराज पुत्र मथूरालाल जाति धाकड निवासी खानपुरिया के स्थान पर दुरूस्त करवाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 में वर्णित आराजी व प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 में वर्णित दस्तावेजात के अनुसार खेमचन्द पुत्र मथूरालाल जाति धाकड निवासी खानपुरिया दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित होने एवं सुविधा का सन्तुलन एवं न्याय का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम खेमराज पुत्र मथूरालाल को दुरूस्त कर खेमचन्द पुत्र मथूरालाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। वाद के साथ ही साक्ष्यवादी के अन्तर्गत **pw1** खेमचन्द पुत्र मथूरालाल तथा **pw2** धन्नालाल पुत्र मथूरालाल के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम खेमराज पुत्र मथूरालाल को दुरूस्त कर खेमचन्द पुत्र मथूरालाल दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। संवत 2072–2075 की जमाबन्दी ग्राम सुभाषपुरा के खाता संख्या 60 के ख0नं0 738 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 754 रकबा 0.29 है0 किता 2 रकबा 2.43 है0 आराजी खेमराज पुत्र मथूरालाल के खाते दर्ज है। ग्राम खानपुरिया के खाता संख्या 10 किता 2 रकबा 3.97 है0 आराजी खेमचन्द पुत्र मथुरालाल के खाते दर्ज है। ग्राम सकतपुर के खाता संख्या 139 की किता 2 रकबा 1.90 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम सहखातेदार के रूप में खेमचन्द पुत्र मथुरालाल दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता पहचान पत्र तथा आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम खेमचन्द पुत्र मथुरालाल अंकित है। राशन कार्ड में खेमचन्द दर्ज है। ग्राम पंचायत सकतपुर के प्रमाण पत्र दिनांक 07.10.2021 अनुसार

खेमराज पुत्र मथुरालाल तथा खेमचन्द पुत्र मथुरालाल दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। इसी प्रकार ग्राम सकतपुर की जमाबन्दी संवत 2072–75 के अनुसार ख0नं0 962 व 963 में भी प्रार्थी का नाम खेमचन्द पुत्र मथुरालाल जाति धाकड अंकित है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थी का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल सुभाषपुरा तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 60 की ख0नं0 738 रकबा 2.14 है0, ख0नं0 754 रकबा 0.29 है0 किता 2 रकबा 2.43 है0 में खातेदार खेमराज पुत्र मथूरालाल के स्थान पर खेमचन्द पुत्र मथुरालाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां